

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

“प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023”

पीठासीन अधिकारी- अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
12 / 2023

दायर दिनांक
31.03.2023

निर्णय दिनांक
02.06.2023

अनवान

1. अम्बालाल पिता शंकरलाल जाति सालवी आयु वयस्क निवासी संगेसरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल पिता गोकल जाति सालवी आयु वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. नारायण लाल पुत्र गोकल जाति सालवी आयु वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. नाथुलाल पुत्र भैरूलाल जाति सालवी आयु वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. चान्दी बाई पत्नि भैरूलाल जाति सालवी आयु वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. वरदीचन्द पुत्र पोखर जाति डांगी आयु वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. शान्तीलाल पुत्र रतनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. छगनलाल पुत्र रतनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी कोदियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र लांगच में पेश हुई। हाजिर प्रार्थी ने बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थी ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, प्रार्थी ने बताया कि कोदियाखेडी पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन में स्थित आराजी संख्या 319 एकबा 1.00 है। कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है, प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थी को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 – 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के खाता संख्या 361 में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा कोदियाखेडी पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 51 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 319 रकबा 1.00 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजसेआम में सुनाया गया।



(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन